

पिप्लात जल प्रकल्प [क. 2310] - 2310 का परिशिष्ट - 3  
- 190

3

मध्य प्रदेश शासन  
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
नग्नरालय

क्रमांक एक 10-22/200/25/2

भोपाल दिनांक 16.6.09

प्रति,

आयुक्त  
आदिवासी विकास  
भोपाल (म.प्र.)

विषय- वर्ष 2008-09 में विशेष पिछड़ी जनजाति की संरक्षण सह विकास योजना (केंद्र की केन्द्र क्षेत्रीय योजना) में प्रारंभ किये गये 3 आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुना, जबलपुर तथा इन्दौर के लिए पदों के निर्माण के संबंध में ।

राज्य शासन एतद् द्वारा तीन आदर्श आवासीय विद्यालयों गुना, जबलपुर तथा इन्दौर के लिये निम्नानुसार पदों के निर्मित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है-

स.क.	पद नाम	वेतनमान	निर्मित पदों की संख्या
1	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	नियमित वेतनमान रु. 18,000-5,270	03
2	उपप्राचार्य प्रथम श्रेणी	नियमित वेतनमान रु. 8000-13,500	03
3	व्याख्याता	रु. 5500-9500	30
4	प्रधानाध्यापक	रु. 5500-9500	03
5	उच्च श्रेणी शिक्षक	रु. 4500-9500	27
6	कॉफेट शिक्षक	रु. 4500-7000	03
7	संगीत शिक्षक	रु. 4500-7000	03
8	छात्रवास अध्यापक	रु. 4500-7000	06
9	व्यायाम शिक्षक	रु. 4500-7000	08
10	पुस्तकालय सहायक	रु. 4000-6000	03
11	सहायक शिक्षक	रु. 4800-6000	06
12	लेखापाल	रु. 4000-6000	03
13	प्रयोगशाला सहायक	रु. 4000-6000	09
14	सहायक (गैड-3)	रु. 3050-4500	03
15	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	रु. 3050-4500	03
16	भूतल (कलेक्टर दर पर)	(कलेक्टर दर पर)	09
17	रसोइया (कलेक्टर दर पर)	(कलेक्टर दर पर)	18
18	जलवाहक (कलेक्टर दर पर)	(कलेक्टर दर पर)	18
19	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	(कलेक्टर दर पर)	06

2. नियमित पदों पर विभागीय प्रमोशन से पदों की पूर्ति की जावेगी ।

3. उपयुक्त विभागीय अमला उपलब्ध नहीं होने पर उपरोक्त तालिका में क्रमांक 33 से क्रमांक 15 तक के पदों के लिए प्रचलित नियमों एवं प्रचलित मानदेय पर स.प्र. के आधार पर **संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी**
4. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 41 लेख सीई 2225 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर स.प्र. परिचय-12 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -0102, अतिरिक्त दिनांक -2802 के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रीय उपयोजना -7381 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विदेश विभाग कार्य अनुच्छेद 275(1) 51 अन्वय प्रणाली के अन्तर्गत विकसनीय होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(व्य.स.बेलें)  
उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
आदिमजाति कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-22/200/26/2  
प्रतिलिपि:-

दिनांक 16. 6. 20

1. विशेष सहायक, भा.मंत्री/राज्य मंत्री आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन दिव्य विभाग
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म.प्र. ग्वालियर
4. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, म.प्र. भोपाल
5. संचालक विशेष पिछड़ी जनजातों भाषाल (म.प्र.)
6. संबंधित कलेक्टर गुना/इन्दौर/जबलपुर (म.प्र.)
7. संबंधित, संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास
8. संबंधित सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण
9. अवर सचिव म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग शाखा-3
10. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त।

उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
आदिम जाति कल्याण विभाग  
म/प्र